तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट चतुर्भुज बनाम तहसीलदार 2021/140	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

प्रार्थी स्वंय

श्री जगराम मीणा तहसीलदर, परबतसर

निर्णय

दिनांक :– 28/3/22

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं। कि ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 298, 300 कुल रकबा 4.93 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें 1/4 हिस्से की भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम चतरा पुत्र काना दर्ज है, जो गलत है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक सभी में चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल नाम दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में चतरा पुत्र काना होने से उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने कठीनाई आ रही है प्रार्थी का किसी प्रकार का कृषि अनुदान भी नहीं मिल रहा है जिससे प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि प्रार्थी का नाम चतरा पुत्र काना के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 2 से 11 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत बागोट में नियत की गई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी 2 राजपैरोकार ने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। उभय पक्षकारो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने सम्वत 2026–2029 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें काना पुत्र चेला कौम खाती सा. देह खातेदार दर्ज है जिसका स्वर्गवास होने पर मांगू, नेमीचन्द, छोटू, चतरा पि. काना खाती जरिये फौतगी नामान्तकरण खातेदारी दर्ज की गई है वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में भी चतरा पुत्र काना दर्ज है, प्रार्थी ने आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि की प्रति पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर उपस्थित मौतबरान ने चतरा पुत्र काना व चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल दोनों नाम के एक ही व्यक्ति प्रार्थी होना बताया है। ग्रामीणों ने प्रार्थी का नाम सही नाम चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल प्रार्थी का सही नाम होना बताया गया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोट के खसरा नम्बर 298, 300 कुल रकबा 4.93 हैक्टयर भूमि में दर्ज चतरा पुत्र काना 1/4 हिस्से के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र कन्हैयालाल 1/4 हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 28/3/22